

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

प्रपत्र-6

निम्नलिखित प्राध्यापको को उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम मय पद व पदस्थापन स्थान	विषय	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	घनश्याम शर्मा, शिक्षा प्रसार अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी समग्र शिक्षा अभियान, नैनवाँ, बून्दी	-	21.12.58	31.12.18

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित कार्मिकों के विरुद्ध आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

दिनांक 07-01-2019

क्रमांक:शिविरा/मा/संस्था/सी-8/ ववेमा/10970/2016-18
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. संबंधित संयुक्त निदेशक,.....।
2. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक),.....।
3. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,.....।
4. सम्बन्धित कार्मिक।
5. सिस्टम एनॉलिस्ट,कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
6. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर